भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी0 ए0 मिस वाद संख्या **06B/2017-18**

1. मंगल देवी 2. सोनु नायक बनाम **श्रीधर महतो**

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15.9.2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, सरायकेला के पत्रांक 517 दिनांक 21.06.2017 द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 06 B/2017-18 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता 1. मंगल देवी पति चिंता नायक 2. सोनु नायक पिता स्व0 गणेश नायक ग्राम–तिरिलडीह, थाना–सरायकेला, जिला– सरायकेला–खरसावाँ ने पारिवारिक खर्च एवं ऋण परिशोधन हेतु केता श्री श्रीधर महतो पिता– मधुसुदन महतो, ग्राम– सामरम, थाना–गम्हरिया, जिला– सरायकेला–खरसावाँ को भूमि की बिकी करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। केता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार हैः–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
तिरिलडीह	148	13	268	2½ डी0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि के विक्रेता क्रमांक 1 के पति कालीचरण नायक एवं क्रमांक 2 के पिता स्व0 गणेश नायक के नाम से जमाबंदी कायम है। बिक्री की जाने वाले भूमि में बिक्रेताओं के हक एवं हिस्सा 6.63 ए0 भूमि है। आवेदक अपने हिस्से की आंशिक जमीन की बिकी हेतु आवेदन किये हैं, जिसमे से 2½ डी0 भूमि बिक्री करने के पश्चात् उनके हिस्से में 6.60½ ए0 एकड़ भूमि शेष बचती है। विक्रेता की जाति 'भुईया' जो अनुसूचित जाति एवं क्रेता की जाति 'कुर्मी' जो अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों एवं अंचल अधिकारी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में उभय पक्ष अलग–अलग कोटि होने के कारण भूमि बिक्री करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। तदनुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला।